भारत सरकार **राज्य सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 2434**

<u>दिनांक 8 अगस्त, 2018 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्मों का रिकॉर्ड

2434. श्री संजय सिंहः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि हाल ही की एक आरटीआई के अनुसार सरकार के पास ई–कॉमर्स प्लेटफार्म के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है;
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार रिकॉर्ड रखने की योजना बना रही है;
(ग) यदि नहीं, तो वर्तमान में शिकायतों को कैसे दूर किया जा रहा है; और
(घ) क्या मंत्रालय को भुगतान में भेदभाव और ई–कॉमर्स बाजार परिसरों द्वारा गलत तरीके से काली सूची में डालने के संबंध में छोटे ई–कॉमर्स विक्रेताओं की ओर से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यदि हां, तो क्या कार्रवाई की गई है?

<u>उत्तर</u>

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

<u>(श्री सी.आर.चौधरी)</u>

(क) एवं (ख) : यह विभाग देश के ई - कॉमर्स प्लेटफार्म अथवा कंपनियों का रिकार्ड नहीं रखता है ।

(ग) उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर दोषपूर्ण माल , क्षतिग्रस्त माल की सुपुदर्गी और उत्पादों की गैर सुपुदर्गी से संबंधित शिकायतें प्राप्त हो रही हैं । राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन में ई - कॉमर्स से संबंधित प्राप्त शिकायतों को निवारण के लिए संबंधित कंपनियों को भेज दिया जाता है । कुछ मामलों में उपभोक्ताओं को निवारण के लिए शिकायतों को उपयुक्त उपभोक्ता फोरम में दर्ज कराने की सलाह दी जाती है ।

(घ) : यह विभाग ई - कॉमर्स सेक्टर सहित विभिन्न सेक्टरों के विभिन्न मुद्दों से संबंधित सुझाव प्राप्त करता है । उक्त सुझावों पर विधिवत कार्रवाई करने के लिए उन्हें सरकार के संबंधित निकायों को भेज दिया जाता है ।

*****